

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल धार

माण्डव रोड, धार (म0प्र0) –454001

Email – dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/26/125

धार, दिनांक 09.03.2026

वन अपराध में जप्त किये गए अंतिम रूप से राजसात वाहनों के विक्रय हेतु सूचना

सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वन मण्डल धार के अंतर्गत निम्नानुसार अंतिम रूप से राजसात वाहनों का जहाँ है जेसा है कि सिद्धांत पर निर्वतन किये जाने हेतु दिनांक **30.03.2026** को अपरान्ह 01:00 बजे **PM** तक वन मण्डल धार में मोहरबंद निविदाँए आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाँए उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे से उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी / समिति द्वारा खोली जावेंगी। विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पोर्टल <https://www.mpforest.gov.in/> पर देखी जा सकती है ।

क्रं.	वाहन का प्रकार	मेक एवं वर्ष	पंजीयन क्रं./ चेचिस नम्बर	स्थान जहाँ वाहन खडा है।
1	2	3	4	5
1	डम्पर	-	HR-46-B-9526/ L06H148358 (serial no)	रेशम केन्द्र धार
2	मोटर सायकल TVS victor	2002	MP-11-BC -0538 /N3210F 245962	परिक्षेत्र कार्यालय धार
3	पिकअप वेन mahindra Max Picup	2018	MP-45-G-1729	परिक्षेत्र कार्यालय सरदारपुर
4	पिकअप वेन	2022	MP-37-GA-0898	परिक्षेत्र कार्यालय कुक्षी
5	मारुती स्विफ्ट डीजायर	2015	MH-01_BT-5149	परिक्षेत्र कार्यालय कुक्षी


अतएव इच्छुक निविदाकार दिनांक **30.03.2026** तक उक्त वाहनों के संबंध में अपनी निविदाँए प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रस्तुत करने हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी। इच्छुक निविदाकार निविदा शर्तें कार्यालय वन मण्डल धार में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में देख सकते हैं एवं वाहनों का अवलोकन उपरोक्तानुसार (कालमें क्रं.05 में) अंकित स्थान पर कर सकते हैं।

निविदा की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. वाहनों के लिये निर्धारित निविदा फार्म राशि रुपये 500/- में बैंक ड्राफ्ट की अदायगी पर प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रियकृत बैंक का होना चाहीये। बैंक ड्राफ्ट वन मण्डल अधिकारी, धार (Forest Divisional officer Dhar) के नाम पर देय होना चाहीये या फार्म की राशि 500/- रु. (बजट मद 0406-01-800-0229 विविध प्राप्ति) बजट मद में आनलाईन जमा कर चालान की सत्यापित प्रति जमा की जानी होगी। कार्यालय वन मण्डल अधिकारी धार से कार्यालयीन दिवस एवं समय में निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।

2. निविदा के फॉर्म जमा करने की निर्धारित दिनांक **30.03.2026** समय 01:00 बजे **PM** तक है यदि दोपहर 01:00 बजे के पश्चात कोई निविदाकार निविदा प्रस्तुत करता है अथवा प्राप्त होती है तो वह प्राप्त निविदा में शामिल नहीं की जावेगी तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. शेष शर्तें वन मंडल कार्यालय धार में कार्यालयीन समय में निविदा फॉर्म के साथ देखी जा सकती हैं ।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

निविदा की मुख्य एवं शेष शर्तें:-

1. प्रत्येक वाहन के लिए निविदा के साथ धरोहर (ई.एम.डी.) राशि के रूप में रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल धार के नाम से देय हो, किसी राष्ट्रियकृत बैंक का प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि, बोली लगाने के पूर्व वाहन का पूरा परिक्षण कर ले तथा वाहन के विवरण के बारे में अपने आपको संतुष्ट करने के उपरांत ही बोली लगाये।
3. प्रत्येक वाहन की बोली अलग अलग वाहनवार लगानी होगी।
4. वाहन के पंजीकरण कराने एवं उठाने आदि के समस्त व्यय एवं अन्य ओपचारिकताओ की पूर्ति की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
5. इस नीलामी विज्ञप्ति में जप्त वाहनों की उक्त वर्णित सुचना प्रकरण अनुसार प्राप्त कर दर्ज की गयी है। तदनुसार इस विज्ञप्ति से वाहन नम्बर, चेचिस नंबर, माडल वर्ष आदि के प्रकाशन में सावधानी बरती गयी है, फिर भी उक्त वाहनों की सम्पूर्ण जानकारी वाही मान्य होगी, जो उक्त वाहन पर अंकित है। जिसका सत्यापन निविदाकार स्वयं कर लेवे।
6. वाहन का विक्रय उच्चतम दर ऑफर करने वाले निविदाकार को ही किया जावेगा। किन्तु बिना कोई कारण बताए निविदा स्वीकृती अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. निविदा देने के पूर्व निविदाकार वाहन का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण कर ले। वाहन जैसा है, जिस हालत में है, की शर्त के आधार पर विक्रय किया जा रहा है। निविदाकार द्वारा वाहन के संबंध में निविदा के पश्चात की गई कोई शिकायत मान्य नहीं की जावेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को उसकी बोली (विक्रय मूल्य) की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान उसी दिन जमा करानी होगी एवं शेष राशि तथा नियमानुसार पत्रत समस्त राजकीय (GST एवं अन्य) कर राशी सहित 15 कार्य दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा बोली निरस्त की जावेगी एवं जमा राशी शासन के पक्ष में जप्त कर ली जाएगी। GST की राशि पृथक से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना होगा। अन्यथा जमा की गई जमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।
9. सफल निविदाकार को स्वीकृति दिनांक के 30 दिवस के अंदर वाहन उठाना होगा। समय सीमा में वाहन ना उठाने पर 100/- रु प्रति दिवस के हिसाब से भुमि भाडा देना होगा।
10. प्रत्येक वाहन हेतु अलग-अलग लिफाफे जिस पर स्पष्ट रूप से वाहन का क्रमांक..... हेतु निविदा लिखा हो, जमा करे। प्रत्येक वाहन हेतु जमानत/धरोहर की राशि भी निविदाकार द्वारा अलग-अलग जमा की जानी होगी।
11. निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन की किमत में काट-पीट, पुर्नलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
12. निविदा देने की निर्धारित अवधि (अपरान्ह 01:00 बजे) के पश्चात यदि कोई निविदाकार निविदा प्रस्तुत करता है, तो वह प्राप्त निविदा में शामिल नहीं की जावेगी। और ना ही मान्य की जावेगी।
13. निविदा की शर्त जो उपरोक्तानुसार प्रकाशित है वाहनों की सूची एवं अन्य जानकारी वन मण्डल कार्यालय धार से कार्यालयीन दिवस व समय पर देखी जा सकती है।

14. निविदाकार द्वारा निविदा फॉर्म में स्वयं के मोबाईल नम्बर एवं निवास का पूर्ण पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदाकार को अपना आधार कार्ड एवं पेन कार्ड निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
15. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताये,स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
16. निविदा के सम्बन्ध में सभी कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी धार रहेंगे ।
17. निविदाकार किसी भी वन अपराध में लिप्त नहीं होना चाहिये ।
18. कोई भी शर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी ।
19. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा,और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा ।
20. वाहनों को नीलामी पश्चात् उसमें नुकसान या कमी के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।
21. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कारवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा ।
22. निविदाकार निविदा फॉर्म में सम्पूर्ण जानकारी साफ़/स्पष्ट अक्षरों में भरेगा एवं अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा । निविदा पेन्सिल से नहीं भरी जावेगी । किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
23. बिका हुआ निविदा फॉर्म वापस नहीं होगा ।
उपरोक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं ।
संलग्न:- निविदा फॉर्म

निविदाकार

हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

कार्यालय वन मंडल अधिकारी वन मंडल धार
मांडव रोड़ जिला-धार (म.प्र.) 454001

Email:-dfotdhar@mp.gov.in

**वन अपराध में जप्त किये गये अंतिम रूप से राजसात वाहनो के विक्रय हेतु
निविदा फार्म**

1. निविदाकार का नाम एवं पिता का नाम
2. वर्तमान पता
3. स्थाई पता
4. मोबाईल नंबर
5. ईमेल आई.डी.
6. निविदाकार द्वारा आयकर विभाग द्वारा पेनकार्ड का क्रमांक.....अनिवार्य देवे।
7. आधार कार्ड/नंबर
8. धरोहर राशि रु. 5000/- का डी.डी. नंबर.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
.....
9. EMD की राशि.....डी.डी. नंबर.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
10. जीएसटी की राशि का डी.डी. नंबर.....दिनांक.....बैंक का नाम.....

क्रं.	वाहन का पंजीयन क्रं.	चेचिस नंबर	वाहन का प्रकार	वाहन का स्थल	वाहन के लिये आफर (निविदा) की गई (राशि) बिना किसी कर के		योग
					अंको में	शब्दों में	

घोषणा-पत्र

मैं.....पिता..... निवासी.....
.....वाहन क्रमांक..... के लिये पूर्ण संतुष्ट हूँ एवं निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न शर्तों को मान्य करते हुए वन अपराध में जप्त अंतिम रूप से राजसात वाहन को निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने वाहन का पूर्ण परीक्षण कर लिया है। मुझे निविदा की सारी शर्त मान्य है। यदि वाहन का विक्रय मुझे किया जाता है (निविदा स्वीकृत होने पर) तो मैं समस्त देय भुगतान नियमानुसार करूंगां। मेरे द्वारा नियमानुसार भुगतान न किये जाने पर शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

स्थान.....
दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम/पता